

# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 769]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2009/वैशाख 25, 1931

No. 769]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2009/VAISAKHA 25, 1931

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 15 मई, 2009

New Delhi, the 15 May, 2009

का.आ. 1239(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री प्रेम नारायण पाराशर को 14 अप्रैल, 2009 (अपराह्न) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेशों तक जो पूर्वोक्त हों भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

S.O. 1239(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 read with sub-section (1) of Section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri Prem Narayan Parashar as Member of the Competition Commission of India with effect from 14th April, 2009 for a period of five years or till he attains the age of 65 years or until further orders, whichever is earliest.

2. उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 784(अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2003 द्वारा यथा अधिसूचित किए गए थे, शासित होंगे।

2. The terms and conditions of his service will be governed by Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003 as notified vide notification No. G.S.R. 784(E), dated 6th October, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii).

[फा. सं. पीसी-5/2/2008-सीसी]

अविनाश कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

[F.No. PC-5/2/2008-CC]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.